राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 311

प्रगति

समाचार पत्र

अप्रैल 2021

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

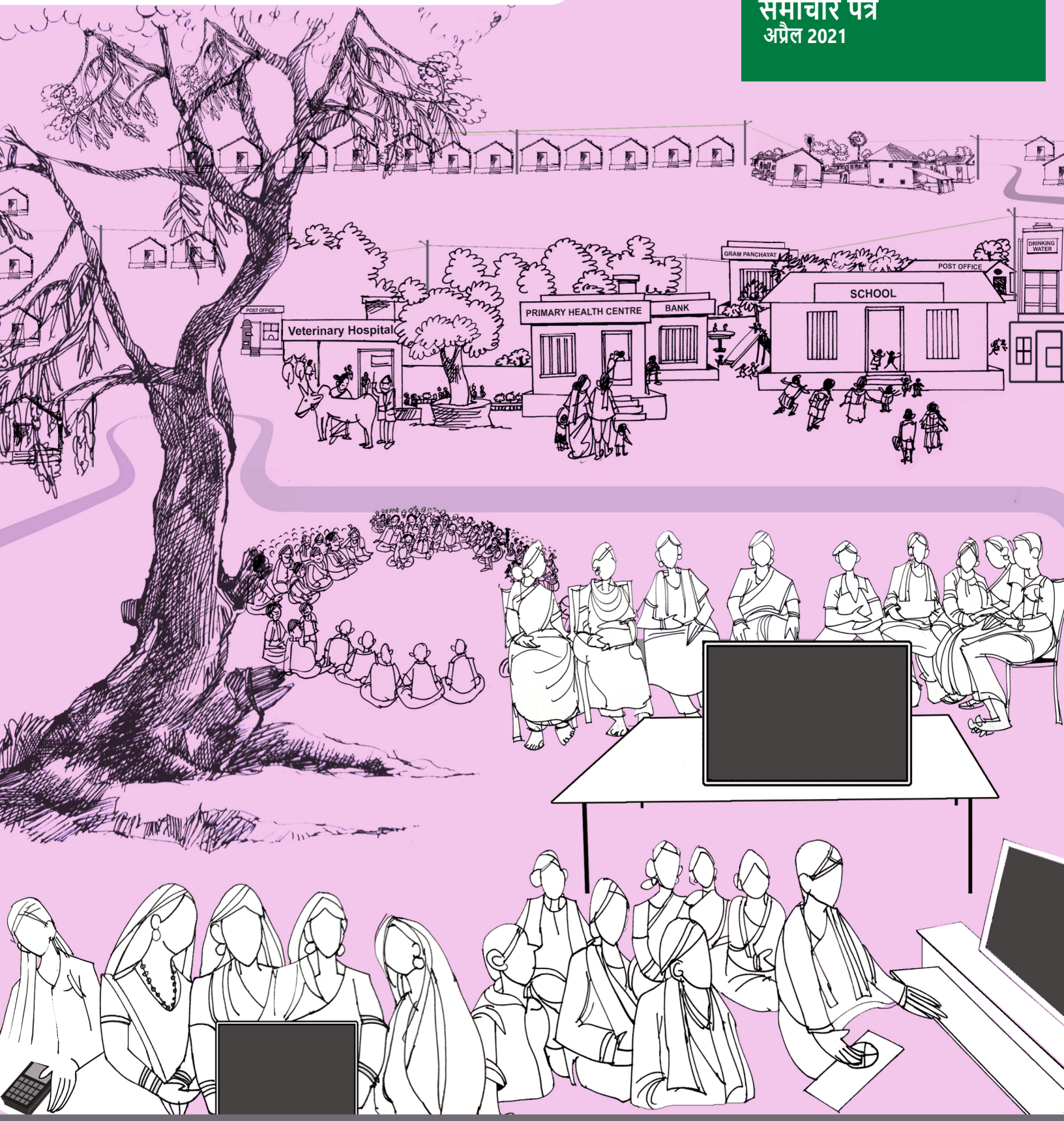

पंचायतों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना

आवरण कहानी:
3 पंचायतों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना पृष्ठ 3 - 6

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

समुदाय स्रोत व्यक्तियों (सीआरपी) के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर 3 दिवसीय ऑनलाईन टीओटी 7

माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन में पंचायत की भूमिका 8

जिला पंचायत विकास योजना की तैयारी पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) और पदाधिकारियों/स्रोत व्यक्तियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 10

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) का कार्यान्वयन: कर्नाटक राज्य में समवर्ती मूल्यांकन निष्कर्ष 11

आज़ादी का अमृत महोत्सव: आरटीपी, सीआईएटी एवं एसजे द्वारा दो ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन 15

एनआईआरडीपीआर ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 130वीं जयंती मनायी 16

लोकतंत्र: अब और क्या? 17

पंचायतों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। 2019 तक कुल भारतीय आबादी का लगभग 66 प्रतिशत गांवों में बसता है। ग्रामीण भारत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का उपयोग करके कार्य करता है जिनमें ग्राम पंचायत (निचले स्तर पर), ब्लॉक/मंडल पंचायत (मध्यम स्तर पर) और जिला पंचायत (जिला स्तर पर) शामिल हैं। भारत में 630 जिला पंचायतें, 6,614 ब्लॉक पंचायतें और 2,53,163 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण भारत कई विकास चुनौतियों का सामना कर रहा है और उनका निपटान करने के लिए एक केंद्रित, निरंतर एवं एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तीव्र असमानताओं और सूचना विषमता के अस्तित्व ने जमीनी स्तर पर स्थिति को अत्यधिक बिगाड़ दिया। भारत को तब तक विकसित राष्ट्र नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसके ग्रामीण क्षेत्र विकसित नहीं हो जाते और इसकी विकास गाथा का हिस्सा नहीं बन जाते।

ग्रामीण भारत का विकास, समावेशी और एकीकृत तरीके से किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों ने विकास के मूल तत्त्वों को प्रदान किया जिनमें संसाधनों, समानता, अधिकारों और जिम्मेदारी तक पहुँच, विविधता, गरीब तथा कमजोर वर्गों के लिए प्राथामिकता, सहायता का सिद्धांत, सहभागिता और शांति का प्रचार शामिल हैं। लंबे समय से सरकार (राज्य और संघ दोनों) द्वारा बनाई गई नीतियों की रूपरेखा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को या तो स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से दर्शाती रही है। इसे परिचालित करने के लिए, सरकार ने संसाधनों के समान वितरण, समावेशी योजना और अंतिम बिंदु तक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया है। शासन के उपरोक्त पहलुओं को साकार करने के लिए,

तकनॉलोजी सबसे बड़ा संतुलन है जो माउस बटन के क्लिक के माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है

तकनॉलोजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनॉलोजी सबसे बड़ी संतुलन है जो माउस बटन के क्लिक के माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। तकनॉलोजी अमीर और गरीब नागरिकों के लिए समान रूप से सेवाओं की पहुंच तथा सेवा आपूर्ति को बेहतर बनाने में एक समान अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट के आगमन से, छात्रों के पास बहुत सारी शैक्षिक, ज्ञानरंजन और अन्य शिक्षण सामग्री लगभग मुफ्त में उपलब्ध है। किसी व्यक्ति की सामाजिक विशेषताओं, भौगोलिक स्थिति, भौतिक या संवेदी क्षमताओं के कारण उभरने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए तकनॉलोजी लगातार विकसित हो रही है। इसलिए, यह एक चिरकालीन तथ्य है कि तकनॉलोजी एवं डिजिटल फुटप्रिंट के बढ़ते प्रवेश से सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में मदद मिलती है।

ग्रामीण भारत में डिजिटलीकरण की आवश्यकता

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण है, जिसकी दो-तिहाई से अधिक आबादी और कार्यशक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमारी राष्ट्रीय आय में कुल 46 प्रतिशत योगदान के साथ कई क्षेत्रों में संकलित कुल शुद्ध मूल्य के पर्याप्त हिस्से का योगदान ग्रामीण भारत करता है। भारतीय गांवों में रहने वाले 833 मिलियन लोगों की आबादी को लेकर, यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक, बढ़ते शहरीकरण के बावजूद, भारत की आधी से अधिक आबादी ग्रामीण होगी। इस

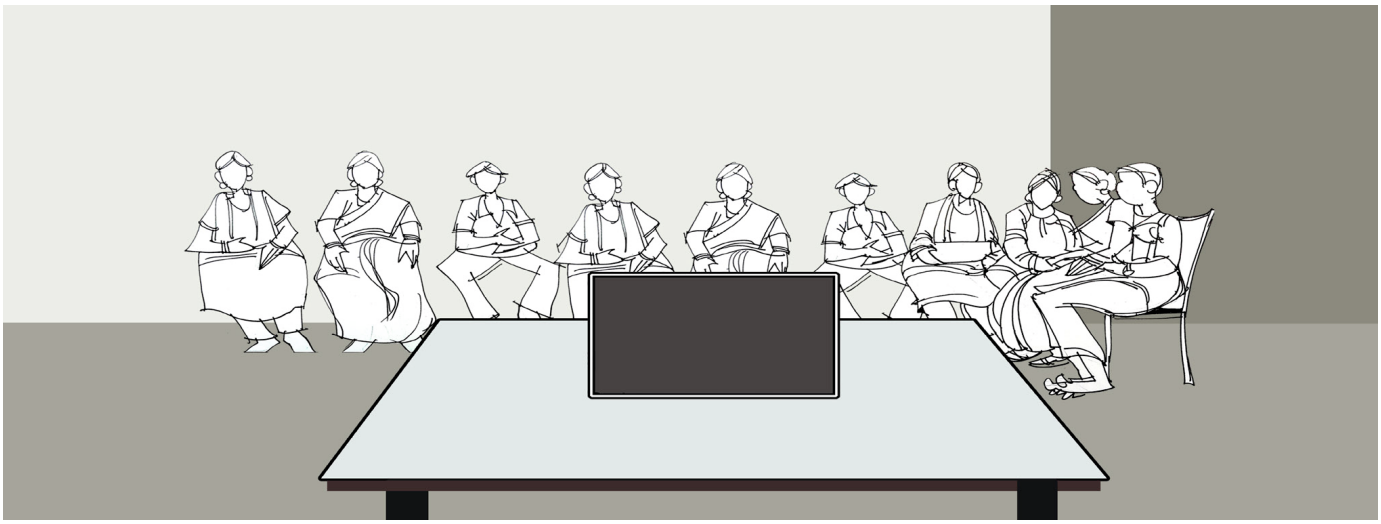

चित्रण: श्री वी.जी. भट्ट

प्रकार, देश के समावेशी विकास और समग्र वृद्धि के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास अनिवार्य है। प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ग्रामीण लोगों तक अधिक से अधिक सेवाओं तथा उत्पादों की पहुंच और उपलब्धता को सुगम बनाती है। डिजिटलीकरण सेवा वितरण और समग्र नियंत्रण में अंतराल की समस्याओं का भी निपटान करता है।

ग्रामीण भारत के डिजिटलीकरण के लाभ

1. वृद्धित पारदर्शिता एवं जवाबदेही

सूचना विषमता, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सरकार के कामकाज और हकदारी में, ग्रामीण भारत में अत्यधिक व्याप्त है। डिजिटलीकरण के माध्यम से, सूचना सभी नागरिकों के लिए सुलभ और उपलब्ध होगी, जिससे सूचना विषमता दूर होगी। इससे स्थानीय शासन की पारदर्शिता में सुधार होगा क्योंकि अधिकारियों को जवाबदेह बनाने का अधिकार नागरिकों को है।

2. उन्नत सेवा अदायगी

सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना एक कठिन कार्य है जिसमें समय, प्रयास और पैसा शामिल होता है। डिजिटलीकरण की वृद्धि से एक बटन क्लिक करके विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे कि जी2सी (सरकार से नागरिक), जी2जी (सरकार से सरकार), जी2बी (सरकार से व्यापार) और बी2सी (व्यापार से ग्राहक/नागरिक) का लाभ उठाया जा सकता है।

3. डेटा डिजिटलीकरण

योजना और नीति निर्माण में डेटा महत्वपूर्ण है। यह किसी योजना, कार्यक्रम और प्रणाली के निरीक्षण एवं मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आम बात है कि कई बार, पंचायत स्तर पर आवश्यक डेटा उपलब्ध नहीं होता है। यह जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण नियोजन के लिए बड़ी बाधाओं में से एक बन गया है। डेटा के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण जानकारी को डिजिटल रूप में ग्रहण करना और भविष्य में उपयोग के लिए इसे संरक्षित करना शामिल है। यह साक्ष्य-आधारित योजना बनाने, प्रदर्शन का आकलन करने और कार्यों की निगरानी में मदद करता है।

4. वृद्धित पहुंच

उन्नत डिजिटलीकरण के साथ ग्रामीण लोगों की सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। ई-गवर्नेंस, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं, मोबाइल/डीटीएच रिचार्ज, ई-टिकटिंग सेवाओं और इतना ही नहीं बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग तक बेहतर पहुंच से ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को नया रूप दिया जाएगा।

5. वृद्धित जागरूकता

डिजिटलीकरण में सुधार से ग्रामीण आबादी में विभिन्न नीतियों, योजनाओं और लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। बेहतर डिजिटलीकरण से विभिन्न अधिकारों और हकदारिता के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी।

6. जमीनी स्तर पर योजना का सुदृढ़ीकरण

साक्ष्य आधारित योजना ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास का प्रमुख पहलू है। जमीनी स्तर पर साक्ष्य-आधारित योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए, डेटा तक पहुंच और विभिन्न हितधारकों के विचारों को ग्रहण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मजबूत डिजिटलीकरण डेटा को ग्रहण करने, डेटा के विश्लेषण और डेटा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उपकरण एवं तकनीक प्रदान करेगा। यह बदले में, जमीनी स्तर पर वास्तविक विकास की जरूरतों को दर्शाते हुए डेटा-संचालित योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगा। कार्य अनुसंधान परियोजना (एपीआर) के तहत एनआईआरडीपीआर का पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना एवं सामाजिक सेवा वितरण केंद्र अर्पिता नामक एक उपकरण बनाने का प्रयास कर रहा है जो ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक डेटा के डिजिटलीकरण में सहायता करेगा जिससे डेटा संचालित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी में सहायता मिलेगी।

चल रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम (फाइल फोटो)

डिजिटल पंचायत में क्या होता है?

एक डिजिटल ग्राम पंचायत में डेटा डिजिटलीकरण और पंचायत स्तर की सभी सेवाओं के त्वरित वितरण को सुनिश्चित करने की सुविधा होती है। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) विभिन्न सर्वेक्षणों के संचालन में ग्राम पंचायतों का समर्थन करने के अलावा, सभी ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड डिजिटल प्रारूप में रखते हैं। सीएससी ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए डिजिटल साक्षरता केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। ग्राम पंचायत अपने निर्वाचित क्षेत्रों के लिए सरकारी सेवाओं के वितरण में सर्विस प्लस जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोग उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रयास

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने और ग्रामीण भारत के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से भारत सरकार का एक शीर्ष कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम हैं: i) पूरे भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड हाईवे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। ii) ग्रामीण भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच विकसित करना। iii) सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से सार्वजनिक इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना। iv) प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को बदलकर ई-शासन प्रदान करना। v) ई-क्रांति के माध्यम से सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति प्रदान करना। vi) डिजिटल तंत्र के माध्यम से सभी को सूचना प्रदान करना। vii) इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देना। iii) ग्रामीण स्तर के उद्यमियों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए रोजगार सृजित करना।

2. राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम)

डिजिटल साक्षरता व्यक्तियों एवं समुदायों की वास्तविक जीवन स्थितियों में सार्थक कार्यों के लिए डिजिटल तकनीकों को समझने और उनका उपयोग करने की क्षमता है। डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर/डिजिटल एक्सेस डिवाइस (जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, आदि) संचालित करने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, सरकारी सेवाओं तक पहुंचने, जानकारी की खोज करने, कैशलेस लेनदेन करने आदि में सक्षम होंगे और इसलिए आईटी का उपयोग करना राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रियता से सहभाग लेना है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) या डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) या उद्देश्य देशभर के सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ताओं और अधिकृत राशन डीलरों सहित 52.5 लाख लोगों को आईटी प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि गैर-आईटी साक्षर नागरिकों को लोकतांत्रिक एवं विकासात्मक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से तथा प्रभावी रूप से सहभाग करने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए उन्हें आईटी साक्षर बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

3. सामान्य सेवा केंद्र

सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण भारत में सरकारी और अन्य सेवाओं की समग्र ई-सेवा आपूर्ति केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। यह सामान्य सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन और मनोरंजन सेवाओं के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता एवं लागत प्रभावी वीडियो, वाइस तथा डेटा सामग्री और सेवाएं प्रदान करते हैं। सामान्य सेवा केंद्रों की एक विशेषता यह है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में वेब-सक्षम ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करेंगे जिनमें आवेदन प्रपत्र, प्रमाणपत्र एवं उपयोगिता भुगतान जैसे कि बिजली, टेलीफोन और पानी का बिल शामिल है। पंचायत स्तर पर हाई-स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के संबंध में, भारत सरकार अब सेवाओं की गुणवत्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम पंचायत भवनों में सामान्य सेवा केंद्रों के विन्यास पर विचार कर रही है।

अकोदरा: भारत का पहला डिजिटल गांव

अकोदरा भारत के गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले का एक गाँव है। यह गांव राज्य की राजधानी गांधी नगर से 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, 1991 व्यक्तियों की आबादी वाले गांव में 236 घर हैं, जिनमें से 538 पुरुष और 653 महिलाएं हैं। साक्षरता दर 91.69 प्रतिशत है। कुल 98.50 प्रतिशत श्रमिक प्रमुख आजीविका गतिविधियों में शामिल थे। अकोदरा गांव को 'भारत का पहला डिजिटल गांव' का टैग मिला है। गाँव में वित्तीय लेन-देन एसएमएस, नेट-बैंकिंग और डेबिट कार्ड आदि जैसे डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाते हैं। 2015 में आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल ग्राम परियोजना के तहत इस गांव का अभिग्रहण किया था और डिजिटल तकनॉलोजी का इस्तेमाल कर इसे कैशलेस बनाया है। बैंक ने ग्रामीण परिवारों को नकद आधारित लेनदेन पर होनेवाली निर्भरता को कम करने के लिए डिजिटल तकनीक से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया।

गांव में लगभग शत-प्रतिशत वित्तीय साक्षरता है। गांव के लोगों के पास मोबाइल फोन हैं और अब वे सभी वित्तीय लेनदेन के लिए आराम से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं। अकोदरा गांव की अपनी आधिकारिक वेबसाइट भी है। उनकी आजीविका से संबंधित सभी वित्तीय लेनदेन, आय की बिक्री और अन्य पैसों से संबंधित मामले डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किए जाते हैं। इस गांव में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी स्कूल स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम और टैबलेट से पूरी तरह सुसज्जित हैं। ग्रामीण पेंशन जैसी हकदारियों सहित सरकार से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन तंत्र का उपयोग करते हैं। न केवल भुगतान प्रणाली को डिजिटल किया गया है, बल्कि शिक्षा, कृषि और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसी सेवाओं को भी डिजिटल बनाया गया है। डिजिटल गांव की संकल्पना आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तीन अवधारणाओं के आधार पर विकसित की गई थी: वे है : कैशलेस, संपर्क और व्यापकता।

मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना के तहत अर्पिता (कार्य अनुसंधान परियोजना आईटी अनुप्रयोग)

प्रस्तावित अनुप्रयोग को परियोजना द्वारा सुझाए गए संकेतकों के आधार पर रिपोर्ट और डैशबोर्ड के साथ आधारभूत डेटा संग्रह इंटरफ़ेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। अनुप्रयोग प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रगति, उनके गतिविधियों की स्थिति, युवा अध्येताओं की नियुक्ति तथा उनके कार्य, साप्ताहिक एवं मासिक योजना प्रबंधन पर एक डैशबोर्ड और रिपोर्ट प्रदान करेगा। अनुप्रयोग में युवा अध्येताओं का ट्रैकिंग मॉड्यूल होगा। यह मॉड्यूल एआरपी को उन गतिविधियों पर प्रत्येक युवा अध्येता की प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम करेगा जो उन्हें बेहतर सहायता प्रदान करने की दिशा में निष्पादित करने की आवश्यकता है। युवा अध्येताओं की आवधिक गतिविधियों का विवरण गतिविधि मॉड्यूल के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ग्राम पंचायत ट्रैकिंग मॉड्यूल को निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी की प्रगति और ग्राम पंचायतों के शासन में उनकी सहभागिता के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रगति को ट्रैक करने के लिए अनुप्रयोग में एकीकृत किया जाएगा। अनुप्रयोग मास्टर डेटा प्रबंधन (स्थान, ग्राम पंचायत और विकास ढांचा) भी प्रदान करेगा। मास्टर डेटा में ग्राम पंचायत और निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रोफाइल आदि शामिल होंगे। अनुप्रयोग जीपी के आधारभूत डेटा को अधिकृत करता है जिसे पीएलई के प्रयोग के माध्यम से एकत्र किया जाता है। अनुप्रयोग ग्राम पंचायतों की संस्थागत क्षमताओं के विकास पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जानकारी के सभी विवरणों को भी अधिकृत करेगा।

4. डिजिटल ग्राम योजना

डिजिटल ग्राम कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का समर्थन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल अनुप्रयोगों के लिए परियोजनाओं को शुरू करना और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर क्षमता निर्माण गतिविधियों को शुरू करना है। डिजिटल ग्राम योजना का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सेवाओं को एकीकृत करना और नागरिकों को समेकित अनुभव प्रदान करना है।

ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण में चुनौतियां

पंचायतों के डिजिटलीकरण में प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. आधारभूत संरचना की कमी

भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2016 तक भारत में 55,619 ऐसे गांव थे, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था। तब से स्थिति में भले ही सुधार हुआ हो, लेकिन आगे एक लंबा रास्ता तय करना है। समस्या उत्तर-पूर्वी राज्यों में अधिक स्पष्ट है जहाँ पहुँच बहुत कम है। आरजीएसए के तहत, एमओपीआर उन सभी ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर उपलब्ध करा रहा है जहां ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीण भारत में आधारभूत संरचना के अंतराल को कम करना ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण को प्राप्त करने में सबसे बड़ी चुनौती है।

2. वित्तीय सहायता का अभाव

केवल आधारभूत संरचना प्रदान करना तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि इसे ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। 14वें वित्त आयोग के तहत प्रशासनिक खर्च का प्रावधान था जिसके तहत ग्राम पंचायतें एक कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त करती थीं जो कंप्यूटर सुविधा पर काम करेगा। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने कुछ ग्राम पंचायतों को मौजूदा कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति को बाध्य करते हुए प्रशासनिक खर्चों के विषय में इस तरह के प्रावधान को हटा दिया है। सामान्य सेवा केंद्रों के विन्यास को इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए।

3. डिजिटल साक्षरता की कमी

निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बहुत सारे ग्रामीण परिवार डिजिटलीकरण के प्रयासों का पता लगाने और उनका फायदा उठाने के लिए डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि एनडीएलएम के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाए।

निष्कर्ष:

यह साफतौर पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण से ग्रामीण भारत में विकास से संबंधित अधिकांश मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। एक डिजिटल रूप से सशक्त जीपी बेहतर सेवा वितरण और बेहतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही तंत्र के माध्यम से सुशासन प्रदान करने में मदद करेगा। यह सूचना विषमता और अभिगम्यता की बाधाओं को कम करके नागरिकों को और अधिक सशक्त बनाएगा। परिवर्तन की संभावना के बावजूद, ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण का सशक्तिकरण जिसे साकार करने में विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एक लंबा सफ़र तय करना है।

डॉ अंजन कुमार भँज
एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी
श्री वंशी कृष्ण नुकला
वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक
परामर्शक, मॉडल जीपी क्लस्टर,
सीपीआरडीपी एवं एसएसडी,
एनआईआरडीपीआर
आवरण पृष्ठ रचना: **श्री वी.जी. भट्ट**

समुदाय स्रोत व्यक्तियों (सीआरपी) के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर 3 दिवसीय ऑनलाइन टीओटी

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षकों के एक संवर्ग का निर्माण एक स्वीकृत पद्धति है और इसे डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) समेत विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों के तहत शामिल किया गया है, जो सामुदायिक स्रोत व्यक्ति (सीआरपी) संचालित उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ग्रामीण महिलाओं को उनके लघु व्यवसाय शुरू करने और/या उनके मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने के प्रति स्थानीय स्तर के प्रशिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए इन सीआरपी को प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है। ये सीआरपी समुदाय की महिलाएं हैं, जिन्हें व्यावसायिक कौशल और महिला उद्यमिता के पिछले और आगे की कड़ियों पर तथा मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है।

सीआरपी संचालित संरक्षण मॉडल की सफलता सीआरपी को प्रशिक्षण देने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली और कार्यक्रम पर निर्भर करती है। कोविड़-19 महामारी और उसके बाद लंबे समय तक के लॉकडाउन ने एसएचजी सहित सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन उद्यमों में व्यवसाय बंद होने, ग्राहकगणों का नुकसान, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी, औपचारिक संस्थानों से वित्तीय सहायता में गिरावट, न बिके हुए माल और बकाया भुगतान में देरी की अलग-अलग स्थिति देखी गई। महिला उद्यमियों को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में इन कठिनाईयों का अनुपातहीन रूप से उच्च स्तर का सामना करना पड़ा। महत्वाकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमी दोनों ने व्यक्तिगत, सामाजिक और मनो-सामाजिक समस्याओं का भी सामना किया। इस प्रकार, सीआरपी के प्रशिक्षण और क्षमता विकास में नियमित अंतराल के साथ सुधार करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें नीतियों और कार्यक्रमों में बदलाव के बारे में अवगत कराया जा सके और साथ ही अधिक प्रभावी ढंग से उन्हें दोनों कृषि और गैर- कृषि आजीविका कार्यक्रमों को सुविधाजनक लागू करने के लिए नए कौशल प्रदान किए जा सकें। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केंद्र और जेंडर अध्ययन एवं विकास केंद्र ने उन मास्टर प्रशिक्षकों के साथ-साथ सीआरपी एवं अन्य ग्रामीण विकास हितधारकों को सूचित करने तथा सक्षम करने के लिए एक ऑनलाइन टीओटी कार्यक्रम का आयोजन किया, जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी दृष्टिकोण पर उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और योजनाओं से जुड़े हुए हैं।

इस टीओटी में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त 250 आवेदनों को सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध किया गया । प्रतिभागियों में एसआईआरडी, ईटीसी, आरएसईटीआई के संकाय सदस्य, एसआरएलएम के अधिकारी एवं युवा पेशेवर, बैंक अधिकारी, सीआरपी, सीएसआर के सहयोगी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। सीआरपी की दृष्टि से महिला उद्यमिता के विभिन्न आयामों पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित सत्रों की व्यवस्था की गई: - 1) जेंडर से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना, 2) सीआरपी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता विकास की पुनर्कल्पना करना, 3) क्षेत्र के उदाहरणों और चल रहे मॉडलों से आकर्षित महिला उद्यमिता की चुनौतियां, 4) महिला उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, 5) मूल्य श्रृंखला विश्लेषण में महिलाओं का स्थिति निर्धारण, 6) एफपीओ के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता विकास, 7) महिला उद्यमिता के मनोसामाजिक आयाम, 8) स्त्री निधि: एसएचजी के लिए वित्तीय सेवाओं का एक अभिनव मॉडल के साथ सभी नए कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी चर्चा की। प्रत्येक सत्र को एक संवादात्मक मंच पर आयोजित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई और प्रतिभागियों को न केवल प्रश्न पूछने के लिए बल्कि अपने अनुभव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) पर प्रतिभागियों से विस्तृत ऑनलाइन प्रतिपुष्टि संग्रहीत की गई। प्रतिभागियों और बाहरी स्रोत व्यक्तियों की प्रतिक्रिया के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त कार्यक्रम सभी प्रकार से संतोषजनक रहा । कार्यक्रम में परिकल्पित उद्देश्यों और लक्ष्यों को यथोचित साकार किया गया।

तीन दिवसीय ऑनलाइन टीओटी का समन्वयन डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएफआई) और डॉ रुचिरा भट्टाचार्य, सहायक प्रोफेसर, जेंडर अध्ययन एवं विकास केंद्र (सीजीएसडी), एनआईआरडीपीआर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

What our participants said:

All the sessions were quite interesting and intriguing. It would be better, if we can get some case studies/successful women entrepreneurs, with whom we can interact live during the session!"

Ms. Deepsikha,
Project officer, Ambuja Cement Foundation (CSR)

We got a lot of ideas from this programme. Specific programme may be organised on rural tourism and homestay, focussing on managerial skill, marketing skill and crisis management skill, and how to survive in a pandemic time.

Dr. R. Babu,
Asst. Professor Kerala Institute of Tourism and Travel Studies (KITTS)

I have seen many eye-opening sessions and I found these sessions useful for us who are working on ground. Longer and interactive sessions may be organised on financial inclusion for CRPs and women entrepreneurs.

Shri Ramesh N,
Senior Associate, Deshpande Foundation.

*These are personal views

माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन में पंचायत की भूमिका

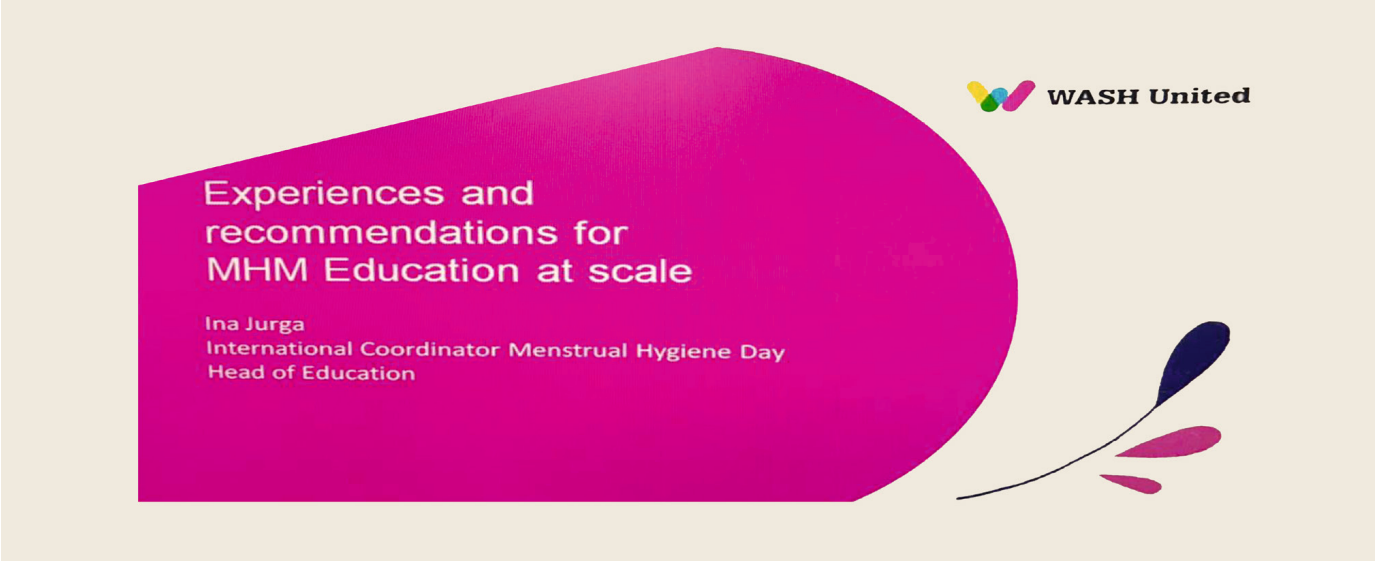

प्रशिक्षण कार्यक्रम से एक स्लाईड

मासिक धर्म स्वच्छ भारत में एक गंभीर चिंता का विषय है जहां महिलाओं को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वच्छ अवशोषक प्राप्त करने और स्वास्थ्य जोखिम पता करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म लड़कियों में यौवन की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है और कई बार, यह नियमों, प्रतिबंधों, अलगाव और समाज द्वारा लड़कियों की ओर से परिवर्तित अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ता है। लड़कियों के प्रति यह रवैया जैसे कि उनकी आत्म अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, स्कूली शिक्षा, गतिशीलता और स्वतंत्रता का महिलाओं की मानसिकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव, विशेष रूप से स्कूलों, कार्यस्थलों या स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है।

सेनेटरी पैड का इस्तेमाल 18 फीसदी से भी कम भारतीय महिलाएं करती हैं। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में पाया गया कि 58 प्रतिशत युवा भारतीय महिलाएं (15-24 वर्ष) सुरक्षा की एक स्वच्छ विधि (ज्यादातर सैनिटरी पैड) का उपयोग करती हैं, 12 प्रतिशत से पैड का उपयोग करने में यह उल्लेखनीय वृद्धि कही जा सकती है। यह निस्संदेह भारत में पिछले कुछ वर्षों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने का परिणाम है। लेकिन फिर भी, इस प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर गति देने की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायत जो लोगों के करीब है और मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन (एमएचएम) के लिए ग्राम स्तर पर अन्य स्थानीय संस्थानों तक इसकी पहुंच बढ़ाई जा सकती है। इसलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना एवं सामाजिक सेवा अदायगी केंद्र (सीपीआरडीपी एवं एसएसडी) ने 15-16 अप्रैल, 2021 के दौरान दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला में एमएचएम में ग्राम पंचायत की क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों और गतिविधियों पर चर्चा की गई जिससे पंचायतों द्वारा लड़कियों एवं महिलाओं के बीच एमएचएम और सैनिटरी नैपकिन -'पैड क्रांति' को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही, ग्राम पंचायतें समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) और गैर सरकारी संगठनों को सैनिटरी नैपकिन उद्यम (एसएनई) को बढ़ावा देने के लिए कैसे मदद और सुविधा प्रदान कर सकती हैं, जो कि सस्ती नैपकिन बना सकते हैं, इस पर भी विचार-विमर्श किया गया।

डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी ने स्वागत भाषण दिया और डॉ. वानिश्री जोसेफ, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी ने कार्यशाला का परिचय दिया, तथा एमएचएम पर काम करने के लिए पंचायत के अभिवृद्धि की आवश्यकता बताई गई। कार्यशाला का उद्घाटन एमओपीआर की संयुक्त सचिव सुश्री रेखा यादव ने किया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ अरुणाचलम मुरुगनाथम जिन्हें 'इंडियाज मेंस्ट्रुअल मैन' और 'पैडमैन ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है, ने इस कार्यशाला में सहभाग किया एवं मासिक धर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में अपने अनुभव साझा किए तथा सुझाव दिया कि पंचायत एमएचएम में एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकती है। एक ऐसे देश में जहां महिलाओं के बीच भी मासिक धर्म एक वर्जित विषय है, उसी के संबंध में उन्होंने नए सिरे से आगे बढ़ते हुए खुलकर संवाद और बातचीत की।

डब्ल्यूएएसजे यूनाइटेड से मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक सुश्री इना पेट्रीसिया जुर्गा ने भी इस कार्यशाला में सहभाग किया और एमएचएम शिक्षा के समर्थन में अपने अनुभवों तथा सिफारिशों को साझा किया। कौशल तथा कार्य के लिए नवोन्मेषी एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. रमेश शक्तिवेल, एनआईआरडीपीआर ने कम लागत वाले भस्मक के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू स्तर से सामुदायिक स्तर तक बड़े पैमाने पर स्थापित किया जा सकता है। प्रतिष्ठा की निदेशक सुश्री सोहिनी रोहिल्ला ने दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के साथ काम करने के अपने अनुभवों को साझा किया और लैंगिक भेदभाव के प्रचलन तथा एमएचएम की लापरवाही के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

कार्यशाला के दूसरे दिन की शुरुआत श्री संपत राज, एडवोकेसी मैनेजर, ग्रामालय द्वारा महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य के मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुति के साथ हुई। सुश्री अनुराधा जोशी, सरपंच, कोडरिया ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश ने पंचायत स्तर पर की गई पहल और एसएनई की स्थापना के बारे में बात की।

डॉ रुचिरा भट्टाचार्य, सहायक प्रोफेसर, जेंडर अध्ययन एवं विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की महिलाओं के बीच मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य व्यवहार, मनोभाव, पद्धतियों पर अपने शोध निष्कर्षों को साझा किया। अंत में, डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, ग्रामीण अवसंरचना केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने मासिक धर्म स्वास्थ्य अपशिष्ट प्रबंधन और पंचायत द्वारा इसे कैसे समझाया जा सकता है, इस बारे में बात की।

इस कार्यशाला ने एमएचएम के मुद्दे पर पंचायत कैसे काम कर सकती है, इस बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान की और निम्नलिखित बिंदु उभर कर आए:

1. मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीति:
मासिक धर्म वर्जित होने और मासिक धर्म की स्वच्छता की उपेक्षा करने का एक मुख्य कारण लैंगिक असमानता है। पुरुषों और महिलाओं को दिए गए असमान अधिकारों के परिणामस्वरूप घरों और समुदायों में और विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की आवाज़ को नज़रअंदाज़ किया जाता है। सांस्कृतिक मानदंडों और कलंक के कारण, मासिक धर्म वाली महिलाओं को पानी और स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं है और कुछ मामलों में उन्हें घर से भी बाहर रखा जाता है क्योंकि मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। इसलिए, मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित उन व्यापक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल करें। इसे एकीकृत जागरूकता, प्रेरणा और ध्यान कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। पंचायतें एकीकृत बाल विकास सेवा पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूल शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा, गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की मदद से ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं। यह लड़कियों और महिलाओं को मासिक धर्म का प्रबंधन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता के ज्ञान में सुधार करने तथा परस्पर बातचीत एवं आकर्षक प्रशिक्षण विधियों के माध्यम से अनुत्तरित प्रश्नों को संबोधित करके आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

इसी तरह, पुरुषों तथा लड़कों को भी इस बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि यौवन, मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति के दौरान लड़कियों एवं महिलाओं को क्या अनुभव करना पड़ता है। पति, पिता, भाइयों, छात्रों, शिक्षकों, सहकर्मियों, नेताओं एवं नीति निर्माताओं के रूप में कई भूमिकाओं के माध्यम से पुरुष घरों, स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदाय में मासिक धर्म के प्रबंधन में महिलाओं तथा लड़कियों को समर्थन दे सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं।

2. मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं को स्थापित करना:
मासिक धर्म की सुविधाएं सुरक्षित तथा सम्मानजनक माहवारी से जुड़ी होती हैं जैसे शौचालय और पानी की बुनियादी सुविधाएं शौचालय तथा पानी की कमी और यदि वे उपलब्ध हैं, तो मासिक धर्म स्वच्छता का प्रबंध करने में मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड के निपटान के लिए डिब्बे की कमी और हाथ धोने की सुविधा एक समस्या है। स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण लड़कियां अपने पैड शौचालय में फेंक देती हैं। कुछ मामलों में, लड़कियां अपने मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किए गए कपड़ों को बिना धोए फेंक दिया करती हैं। साथ ही, निपटान व्यवस्था की कमी, शौचालयों के टूटे हुए ताले/दरवाजे, पानी के नल, बाल्टी की कमी और खराब पानी की आपूर्ति के कारण कई लड़कियां स्कूलों में अनुपस्थित रहने की सूचना मिली। ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं स्कूलों और अन्य संस्थानों में उपलब्ध हों।

सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल भस्मक भी पंचायतों द्वारा स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में खरीदे या उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे उन्हें मासिक धर्म के अपशिष्ट का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

3. जमीनी स्तर पर एसएनई को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखला को सुविधाजनक बनाना:
सैनिटरी नैपकिन के उपयोग में वृद्धि तब हो सकती है जब नैपकिन सस्ती कीमत पर उपलब्ध हों। श्री अरुणाचलम मुरुगनाथम को 'इंडियाज मेंस्ट्रुअल मैन' के रूप में जाना जाता है, उन्होंने एक ऐसे सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल तंत्र को विकसित किया, जो सेमी-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड बनाता है। उनके अनुभव और अन्य कम लागत वाले तंत्रों की जानकारी लेते हुए, ग्राम पंचायत स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य कुटीर उद्योगों द्वारा नैपकिन के उत्पादन, बिक्री और वितरण की सुविधा प्रदान कर सकती है। ग्राम पंचायतें गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मशीनीकरण, परिचालन भाग को गति देने की क्षमता, जागरूकता सृजन, इकाईयों के भीतर अभिलेख बनाए रखना, मांग आपूर्ति प्रबंधन, ग्राहकों के साथ संपर्क, विपणन मुद्दों और व्यवसाय योजना के संदर्भ में क्षमता निर्माण कर सकती हैं।

4. मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन:
मासिक धर्म के अपशिष्ट का प्रबंधन एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि यह स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावित करता है। जिसके लिए कम और लागत प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मासिक धर्म के सामग्री का प्रबंधन उपयोग में लाये गए उत्पाद के प्रकार, सांस्कृतिक मान्यताओं और निपटान के स्थान के अनुसार किया जाना है। पर्यावरण के अनुकूल दिशानिर्देशों के अनुसार भस्मक का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इनसे कम प्रदूषण होता हैं। उन्हें स्कूलों, संस्थानों और सामुदायिक स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। ये विशेष प्रकार के शौचालय होते हैं जिनमें सामान्य गहन गड्ढे में कंधे के स्तर पर पानी का बहाव होता है। इस्तेमाल किए गए नैपकिन की अपघटन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए महीने में पांच बार एक रासायनिक घटक को गड्ढे में डाला जाता है। गुजरात के गांवों में 'वात्सल्य फाउंडेशन' द्वारा उपयोग की जाने वाली मिट्टी और सीमेंट भस्मक मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में एक स्वागत योग्य कदम है। सुश्री स्वाति ने इस भस्मक को तैयार किया और इसका नाम 'अशुद्धिनाशक' रखा, जो बिना कोई धुआं पैदा किए एक बार में कई सैनिटरी नैपकिन जला देता है। इस पर्यावरण के अनुकूल और सस्ते नवाचार की ग्रामीण महिलाओं द्वारा सराहना की जाती है, जिन्हें उनका निपटान करना मुश्किल लगता है। ग्राम पंचायत इनमें से किसी भी सुविधा को अपना सकती है और संस्थानों तथा परिवारों को किसी एक तरीके का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

5. संवेदनशील स्थितियों में लड़कियों और महिलाओं के लिए एमएचएम:
समुदायों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सार्वजनिक स्थानों पर पानी की कमी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाएं उन बाधाओं की लंबी सूची में शामिल हैं जो विकलांग लड़कियों और महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने से रोकती हैं। मासिक धर्म वाली लड़कियों और विकलांग महिलाओं की अलग-अलग ज़रूरतें हो सकती हैं। आपातकालीन प्रभावित और विस्थापित महिलाओं एवं लड़कियों को मासिक धर्म स्वास्थ्य तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किन्नरों को इन सुविधाओं और सेवाओं, विशेष रूप से शौचालयों के लिए अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, पंचायतों को संवेदनशील स्थिति में लड़कियों एवं महिलाओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और किन्नरों तथा मासिक धर्म से असंबद्ध लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए।

इस कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. वानिश्री जोसेफ, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपीएसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने किया।

जिला पंचायत विकास योजना की तैयारी पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) और पदाधिकारियों / स्त्रोत व्यक्तियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण

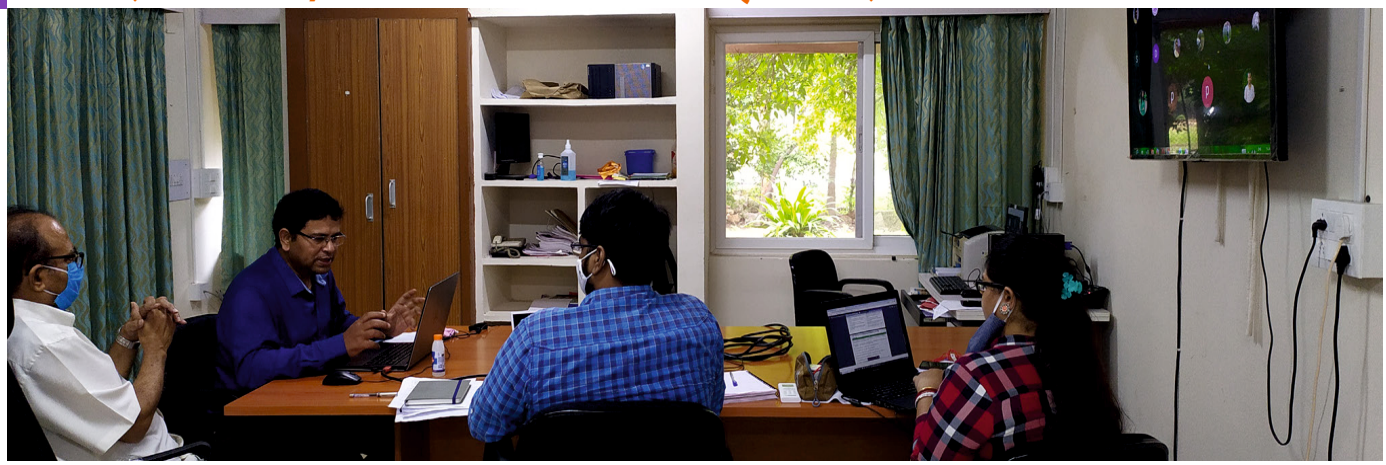

प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए डॉ अंजन कुमार भांजा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी (बाएं से दूसरे) और टीम के सदस्य

पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा संवितरण केंद्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने 20 अप्रैल, 2021 को जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की तैयारी पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) और अधिकारियों/ स्त्रोत व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जिला पंचायत स्तर पर योजना के संदर्भ और महत्व पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों और अधिकारियों/ स्त्रोत व्यक्तियों को उन्मुख करना और डीपीडीपी की तैयारी, कार्य चरण और कार्यप्रणाली को समझना था।

डॉ. अंजन कुमार भँज, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने डीपीडीपी की आवश्यकता, योजना चक्र और डीपीडीपी की तैयारी में शामिल चरणों और प्रक्रियाओं पर संक्षेप में बात की। इस कार्यक्रम में कुल 162 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश, गोआ, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और पुदुचेरी) का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिभागियों में एसआईआरडी के उच्च अधिकारी (सहायक निदेशक, उप निदेशक, संकाय), योजना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), विकेंद्रीकरण के विशेषज्ञ और खंड विकास अधिकारी शामिल थे।

डॉ. चंद्रशेखर कुमार, अपर सचिव, एमओपीआर ने मुख्य भाषण प्रस्तुत किया और पंचायतों के तीनों स्तरों की स्वायत्तता को साकार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। "हमने जीपीडीपी की तैयारी को परिपक्व कर दिया है और अब ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और डीपीडीपी पर ध्यान केंद्रित करने का समय है," उन्होंने डीपीडीपी को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने पर जोर दिया और इसे सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव दिए। उनके सुझावों में सभी स्तरों पर एसडीजी शिकायत गुणवत्ता योजना, डीपीडीपी में जीपीडीपी और बीपीडीपी मुद्दों का एकीकरण, तीनों स्तरों पर सेवा संवितरण को शामिल करना; स्वयं के स्रोत राजस्व, तीनों स्तरों पर ई-गवर्नेंस और सभी स्तरों पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना करना था।

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल थे: i) एसडीजी का स्थानीयकरण और डीपीडीपी में उनका एकीकरण ii) बीपीडीपी, जनगणना, एसईसीसी, एमए, जीआईएस, लाइन विभागों और जिला पंचायतों के प्राथमिक डेटा से प्राप्त डेटा का संग्रह और समेकन iii) डीपीडीपी के लिए एमओपीआर के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का उपयोग iv) एकीकृत, अभिसरण और गुणात्मक तरीके से डीपीडीपी तैयार करने के मार्गदर्शक सिद्धांत, फोकस, कदम और कार्यप्रणाली v) बीपीडीपी-आधारित डीपीडीपी की चुनौतियां और विभिन्न संस्थानों/ हितधारकों की जिम्मेदारियां इत्यादि ।

प्रतिभागियों ने डीपीडीपी में जीपीडीपी और बीपीडीपी मुद्दों को एकीकृत करने, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में मिशन अंत्योदय गैप रिपोर्ट के उपयोग, योजनाओं के अभिसरण और डीपीडीपी में हरित लक्ष्यों को शामिल करने के बारे में बातचीत के दौरान विभिन्न प्रश्न उठाए जिन्हें स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा उदाहरणों सहित विस्तार से संबोधित किया गया।

प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर अपने संबंधित राज्यों में डीपीडीपी की तैयारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किसर । श्री रामचंद्र सैनी, सहायक निदेशक, आईजीपीआरएस जयपुर ने देखा कि ऑनलाइन प्रशिक्षण उत्कृष्ट था। "मैंने डीपीडीपी के बारे में अधिक सीखा है। इसका सैद्धान्तिक और कार्यान्वयन भाग तारीफे काबिले है। प्रशिक्षण से ई ग्रामस्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड करने में बहुत मदद मिली है," उन्होंने कहा। एक अन्य प्रतिभागी श्रीमती नीलम छिकारा, जो कि हरियाणा सरकार के राज्य पंचायत संसाधन केंद्र की योजना और प्रबंधन विकास विशेषज्ञ है, ने अपर सचिव, एमओपीआर और मॉडल जीपी क्लस्टर प्रोजेक्ट की टीम को धन्यवाद दिया। "यह जमीनी स्तर के अधिकारियों के लिए एमओपीआर, भारत सरकार के जनादेश के अनुसार भविष्य में एक प्रभावी जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने में अधिक सहायक सिद्ध होगी" उन्होंने कहा। तेलंगाना के मंडल परिषद विकास अधिकारी डॉ. जी. आंजनेयुलु ने कहा कि ऑनलाइन प्रशिक्षण उत्कृष्ट था। "प्रशिक्षण कार्यक्रम को काफी व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया गया था। डॉ. ए. के. भँज, डॉ. एस. ज्योतिस और श्री दिलीप कुमार पॉल द्वारा की गई प्रस्तुतियों ने हमें बहुत प्रेरित किया। हमें निश्चित रूप से अपने जिलों में सर्वश्रेष्ठ डीपीडीपी तैयार करने का बीड़ा उठाना चाहिए।"

कार्यक्रम का संयोजन डॉ. अंजन कुमार भँज, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने मॉडल जीपी क्लस्टर्स के लिए परियोजना प्रबंधन दल के सहयोग से किया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) का कार्यान्वयन: कर्नाटक राज्य में समवर्ती मूल्यांकन निष्कर्ष

उदाहरण हेतु फोटो

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का मुख्य उद्देश्य सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है। पात्र व्यक्ति चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए रियायती मूल्य पर प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।

मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) जो परिवार सबसे गरीब हैं, को अत्यधिक रियायती कीमतों पर प्रति माह प्रति 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार उपलब्ध कराएगा। समवर्ती मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक राज्य में एनएफएसए (2013) के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति का आकलन करने के साथ-साथ इसमें आए बदलाव की निगरानी करना है, विशेष रूप से व्यवस्थित स्तर पर (एनएफएसए 2013 के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन और विश्लेषण करना) और लाभार्थी स्तर पर (एनएफएसए के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित समूहों पर एनएफएसए के लाभों का मूल्यांकन करना)। कर्नाटक राज्य में तिमाही आधार पर समवर्ती मूल्यांकन आयोजित किया गया था। चार तिमाहियों में सत्रह जिलों (बल्लारी, दक्षिण कन्नड़, मंड्या, शिवमोग्गा, बैंगलूरू ग्रामीण, बैंगलूरू शहरी, चिक्कबल्लापुर, तुमकूर, बिजापुर, भागलकोट, गदग, हावेरी, चामराजनगर, चिक्कमंगलूरु, हासन, कोडगु और मैसूर) को कवर किया गया था। कर्नाटक में कुल नमूने का आवंटन एनएसएसओ कृषि-जलवायु क्षेत्रों और राज्य के जनसंख्या आकार के अनुपात पर आधारित था। समवर्ती मूल्यांकन के लिए एक बहुस्तरीय नमूना डिजाइन को अपनाया गया था। क्रमशः जिलों/शहरों/कस्बों, गांवों/शहरी वार्डों और परिवारों को क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे चरण के नमूने से थे। प्रत्येक जिले में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों से पांच गांवों/शहरी वार्ड (जहां उचित मूल्य की दुकान स्थित है) (राज्य में एनएफएसए आबादी के शहरी ग्रामीण वितरण के आधार पर) यादृच्छिक रूप से चुना गया था। प्रत्येक गांव में, 15 नमूना एनएफएसए लाभार्थी परिवार (अर्थात 10 प्राथमिकता परिवार, पीएचएच और 5 अंत्योदय अन्न योजना -एएवाई) को एक व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना पद्धति का उपयोग करके चुना गया था। कर्नाटक राज्य में 2018-19 के दौरान चार तिमाहियों में समवर्ती मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन और विश्लेषण किए गए प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

I.लाभार्थी चयन और राशन कार्ड प्रबंधन: नए/डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन तंत्र और कार्यप्रवाह आधारित प्रणाली काम कर रही है। ऑनलाइन सेवाएं सीएससी/स्थानीय निजी उद्यमियों के माध्यम से विभाग द्वारा चलाए जा रहे ब्लॉक स्तर के केंद्रों पर/अंतिम छोर पर उपलब्ध हैं और यहां तक कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध हैं। यह देखा गया है कि वर्तमान में, सकल प्रकोष्ठ तालुक स्तर पर खोला जाता है जहाँ नए राशन कार्ड/ राशन कार्डों को हटाना/ संशोधित करने का कार्य हो रहा है। नए राशन कार्ड/संशोधन के लिए लिया गया औसत समय दो से तीन घंटे है। आवेदन को स्वीकार करने या एसएमएस के माध्यम से आवेदक की स्थिति को अद्यतन प्रदान करने का प्रावधान है। यह क्रॉस-चेक किया जाता है कि राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली का विवरण एनएफएसए पर सही ढंग से रिपोर्ट किया गया है। 90 प्रतिशत से अधिक आबादी एनएफएसए पात्रता मानदंड (विशेषकर आय मानदंड) से अवगत है। यह बताया गया है कि लगभग सभी पात्र परिवार एनएफएसए के अंतर्गत आते हैं। परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष और उससे अधिक) को घर के मुखिया के रूप में मान्यता दी जाती है। वास्तविक लाभार्थियों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को लाइव उपलब्ध कराया गया है। लाभार्थियों को राशन कार्ड की पात्रता और राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने के बारे में पूरी जानकारी है। नए राशन कार्ड, जोड़ने/हटाने के लिए लाभार्थियों को औसतन रु. 120 (रु. 50 प्रति आवेदन और रु. 70 प्रति डाक शुल्क) देना पडता है। यह देखा गया है कि आधार-आधारित प्रतिरूपीकरण और सत्यापन के साथ-साथ ई-केवाईसी/जैव अद्यतन राशन कार्ड के लिए कदम उठाए गए और पूरा होने के करीब है। आरसी स्तर की आधार सीडिंग का अधिकांश 99 प्रतिशत किया गया है। हालांकि, आरसी में मोबाइल नंबर सीडिंग का कार्य प्रगति पर है, जबकि आरसी की बैंक खाता सीडिंग मुश्किल से मिलती है।

II. खाद्यान्न पात्रता और एफपीएस स्वचालन तक पहुंच: राज्य एफसीआई (केंद्र सरकार) प्रति किलो 3रू. से खरीदता है और पीएचएच कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति पांच किलो और एएवाई कार्ड धारकों के लिए प्रति कार्ड 35 किलो मुफ्त में देता है । उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार और 2 किलो (ओपन मार्केट सेल्स स्कीम-ओएमएसएस से खरीदी गई) जोड़ती है और बीपीएल कार्ड (पीएचएच) धारकों को उपलब्ध कराती है। कुल मिलाकर, पीएचएच कार्ड धारक सदस्यों को प्रति व्यक्ति सात किलो मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार को खाद्यान्न खरीद के समय प्रति क्विंटल रू. 2,694.83 से अधिक खर्च और 1.5 प्रतिशत उपकर हुआ हैं जो कि एफसीआई से खुले बाजार की नीलामी के माध्यम से होती है।

III. उचित मूल्य दुकान सेवाएं: लाभार्थी अपने हिस्से के खाद्यान्न की सामग्री/हकदारिता के बारे में पूरी तरह से अवगत थे। सामग्रियों के कम वजन और अधिक शुल्क के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी। लाभार्थियों ने व्यक्त किया कि पीडीएस दुकान खोलने की अवधि और समय की संतुष्टि स्तर काफी संतोषजनक है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता और वरीयता प्राप्त करने पर लाभार्थियों की राय काफी संतुष्ट और पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। कोई कंकड पत्थर नहीं पाए जाते हैं। खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एफपीएस की पहुंच काफी आसान है और खाद्यान्नों के वितरण के संबंध में सूचना तक पहुंच ज्यादातर स्व-दौरा या एसएमएस अलर्ट या साथी निवासियों से भी होती है। राशन दुकान खुली रहने का समय और दिन भी लाभार्थियों को काफी स्वीकार्य हैं। लाभार्थी टोल फ्री/हेल्पलाइन नंबर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं; हालांकि, वे उन संस्थानों और उनके उद्देश्य जैसे डीजीआरओ/एसएफसी से अधिक परिचित नहीं हैं और शिकायत निवारण मंच पर अपनी शिकायतों को प्रसारित करने के बारे में भी नहीं जानते हैं। कर्नाटक में लाभार्थियों के विवरण का डिजिटलीकरण और राशन कार्ड में आधार संख्या को जोड़ने का काम लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि अभी केवल 50 फीसदी मोबाइल नंबर ही सीड किए गए हैं। एफपीएस पर ई-पीओएस का उपयोग करके खाद्यान्न प्राप्त करना बहुत आसान और समय बचाने वाला है। यही बात लाभार्थियों ने व्यक्त की है। यह कर्नाटक के नमूना जिलों के सभी लाभार्थियों से अभिभूत है। यह देखा गया है कि खराब कनेक्टिविटी के कारण कुछ मौकों को छोड़कर, कुल मिलाकर ई-पीओएस मशीन एफपीएस स्तर पर अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन लाभार्थियों को मुद्रित रसीदें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

लाभार्थियों ने व्यक्त किया कि सतर्कता समिति की जागरूकता और कार्यप्रणाली को मान्यता प्राप्त है लेकिन शिकायत निवारण के लिए सतर्कता समिति से संपर्क करना मुश्किल है। यह देखा गया है कि कर्नाटक कुछ नमूना जिलों में लाभार्थियों को नकद के बजाय खाद्यान्नों को वरीयता देते है। डिजिटल भुगतान विकल्प को शायद ही पसंद किया गया हो क्योंकि खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। नकद सब्सिडी को प्राथमिकता न देने के कारणों में खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य के लिए नकदी के दुरुपयोग का जोखिम और खाद्यान्नों का उच्च बाजार मूल्य शामिल है।

यह देखा गया है कि आवंटन और वितरण पूरी तरह से पारदर्शी है (ऑनलाइन अपडेशन स्वचालित रूप से) और कोई रिसाव बिंदु नहीं देखा गया है। खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई देरी नहीं है और उचित दर दुकान पर नामांकन/होम डिलीवरी की सुविधा भी नहीं है। एफपीएस के काम करने के घंटे, खाद्यान्न की पात्रता, कार्ड धारकों के विवरण और स्टॉक विवरण के बारे में जानकारी का प्रदर्शन सभी नमूना एफपीएस में अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। एफपीएस पर लगभग 100 प्रतिशत ई-पीओएस मशीनें चालू पाई गईं। लाभार्थियों के साथ-साथ एफपीएस डीलरों ने व्यक्त किया कि ई-पीओएस की स्थापना से उन्हें आसानी हुई है और समय की बचत हुई है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए औसत समय 3 से 5 मिनट लगता है। नमूना एफपीएस में सफल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद, खाद्यान्न की 100 प्रतिशत बिक्री देखी गई। यह शायद ही देखा गया है कि नमूना एफपीएस के आरसी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलता की सूचना मिली है।

एनएफएसए दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना, पारदर्शिता पहलुओं का प्रदर्शन एफपीएस पर अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। एफपीएस रखरखाव का मार्जिन/लाभ और व्यवहार्यता आवंटित राशन कार्डों की संख्या और एफपीएस डीलर के प्रदर्शन पर निर्भर करता है और एफपीएस मालिक एनएफएसए खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य कार्यों में रत रहता है। लेकिन हमारे नमूना एफपीएस ने कर्नाटक के नमूना जिलों में दौरा किया तो वहां के एफपीएस डीलर केवल एनएफएसए खाद्यान्न तक ही सीमित हैं। यह स्पष्ट था कि एफपीएस मालिक केवल दो स्रोतों (कमीशन/मार्जिन और गनी बैगों की बिक्री) से आय जुटा रहा है। यह देखा गया है कि पूरे नमूना एफपीएस ने प्रति माह रू. 5000 से अधिक का लाभ कमाया है। बैंकिंग पत्राचार (बीसी) और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सेवाएं शायद ही कभी मिलती हैं। हालांकि, कुछ एफपीएस मालिक लाभार्थियों की मांग के अनुसार सीएससी सेवाओं के वितरण में रुचि रखते हैं। नए एफपीएस लाइसेंस के लिए आवेदन करने की कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है और नए लाइसेंस मैन्युअल रूप से जारी किए जाते हैं।

उदाहरण हेतु फोटो

IV. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और एफपीएस व्यवहार्यता: नमूना गोदामों की औसत क्षमता 2000 मीट्रिक टन है। नमूना गोदाम को टैग किए गए एफपीएस की संख्या प्रकृति में भिन्न है। नमूना गोदामों की भंडारण क्षमता दो महीने की आवश्यकता पर आधारित है। गोदामों का रखरखाव तालुका कृषि उत्पादक विपणन सहकारी समितियों (टीएपीएमसीएस) और कर्नाटक खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (केएफसीएससी) द्वारा किया जाता है और इन गोदामों का रखरखाव और आधुनिकीकरण किया जाता है। अध्ययन दल द्वारा दौरा किए गए चार नमूना जिलों में भंडारण क्षमता की पर्याप्तता देखी गई है। यह भी देखा गया है कि उचित दर दुकान को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। खाद्यान्नों की आवाजाही, भुगतान और एसएमएस अलर्ट पूरी तरह से स्वचालित हैं और गोदाम से एफपीएस तक खाद्यान्न की चार नमूना जिला आपूर्ति में ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। हालांकि, ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिज से गोदाम में तोला गया खाद्यान्न मुश्किल से ही मिलता है।

नमूना जिलों में खाद्य वितरण कैलेंडर का पालन हर महीने के 1-25 में किया जाता है और 100 प्रतिशत खाद्यान्न गोदाम द्वारा समय पर प्राप्त किया जाता है और इसे टैग किए गए संबंधित एफपीएस को भेज दिया जाता है। गोदाम और डायवर्सन/कालाबाजारी द्वारा सूचित वैधता अवधि के भीतर संपूर्ण आवंटित मात्रा को नहीं उठाने के कोई उदाहरण नहीं हैं। गोदाम से उचित दर दुकान तक खाद्यान्न की घर-घर तक सुपुर्दगी सुनिश्चित की जाती है और अनाज के परिवहन एवं रख-रखाव के लिए उचित दर दुकान डीलर द्वारा कोई खर्च वहन नहीं किया जाता है। एफपीएस अंत:शेष/राशन कार्ड नंबर को ऑनलाइन के माध्यम से आवंटन आदेश उत्पन्न करने के लिए स्वचालित रूप से प्राप्त किया जाता है। करीब 70 फीसदी को एसएमएस अलर्ट के तहत कवर किया गया है। एफपीएस को खाद्यान्न की डिलीवरी के तुरंत बाद, एसएमएस अलर्ट जीपी अध्यक्ष, सतर्कता समिति के सदस्यों, तालुक पंचायत सदस्यों और एफपीएस मालिक तक पहुंच जाता है।

थोक ट्रांसपोर्टरों से स्टॉक की प्राप्ति और खुदरा ट्रांसपोर्टरों तथा उचित मूल्य दुकान के मालिकों तक स्टॉक का प्रेषण ऑनलाइन स्टॉक और थोक गोदामों में ऑनलाइन बिलिंग पर आधारित है। सभी गोदामों और एफपीएस की स्टॉक स्थिति को

उदाहरण हेतु फोटो

ऑनलाइन रीयल-टाइम में कैप्चर किया जाता है। एनएफएसए सामग्रियों के लिए डिलीवरी ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर, ट्रक चालान, गेट पास इत्यादि सिस्टम से उत्पन्न होते हैं और वे पारदर्शिता पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में, तालुक गोदामों में केवल डिलीवरी ऑर्डर और ट्रक चालान उत्पन्न होते हैं, जबकि भुगतान पावती को ऑनलाइन पर उत्पन्न नहीं किए जाते है। एनएफएसए डैशबोर्ड पर आवंटन, ऑफ टेक और वितरण का विवरण सही ढंग से रिपोर्ट किया गया है। आवंटन और उठाने के आँकड़े विभाग के एफआईएसटी/एफसीएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध हैं। ई-केवाईसी, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन और फ्यूजन फिंगर फंक्शंस पीओएस में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन (ब्लूटूथ/केबल) को गोदामों और उचित दर दुकान पर ऑनलाइन एकीकृत नहीं किया गया है और कोई स्थानीय भाषा इंटरफ़ेस - स्थानीय भाषा में वॉयस ओवर/मुद्रित नहीं है। बीसी और सीएससी संचालन करने के लिए माइक्रो-एटीएम कार्यक्षमता प्रगति पर है, सीएससी द्वारा लॉगिन आईडी प्रदान करने की प्रतीक्षा की जा रही है।

जिले में कुल लेनदेन राज्य पोर्टल और केंद्रीय पोर्टल (अन्नवितरण) में परिलक्षित होता है। साइलेंट राशन कार्ड (आरसी जिनके खिलाफ लगातार तीन महीनों तक खाद्यान्न नहीं उठाया जाता है) का आकलन करने के लिए जिला स्तर पर एक प्रणाली है और सतर्कता समिति के सदस्य (वीसीएम) नियमित रूप से क्षेत्र सत्यापन के लिए शामिल हैं। एफपीएस डीलरों और उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न आवंटन और वितरण के मुद्दों को हल करने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी पहले से ही लागू है।

V. शिकायत निवारण प्रणाली और सतर्कता समिति: कोई भी सतर्कता समिति सदस्य (नमूना के तौर पर कुलपति) जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) को लिखित शिकायत दर्ज करने के प्रावधान से अनभिज्ञ है। यह देखा गया है कि सतर्कता समिति के सदस्य एफपीएस के कुछ कार्यों और एनएफएसए के कार्यान्वयन के बारे में जानते हैं लेकिन पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। हालांकि, कुछ नमूना एफपीएस के वीसी बहुत कुशलता से काम करते हैं, खासकर हावेरी जिले के एफपीएस वीसी। वे नियमित बैठकें करते हैं और बैठक के कार्यवृत्त भी बनाए रखते हैं। तहसीलदार की अध्यक्षता में हर महीने तालुक स्तर पर एक समीक्षा बैठक भी होती है और पीडीएस के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

कुछ लाभार्थियों के साथ यह सह-संबंधित है कि विभिन्न बैठकों में समय-समय पर सतर्कता समिति के सदस्यों के कार्यों पर चर्चा और सुनिश्चित किया जाता है। पीडीएस मदों के संबंध में निर्णय लिए गए और वृद्धजनों के अंगूठे के निशान की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यह देखा गया है कि कर्नाटक विकास कार्यक्रम (केडीपी) के तहत जिले में एक समीक्षा बैठक होती है और पीडीएस हर तिमाही समीक्षा किए जाने वाले विषयों में से एक है। बैठक में संबंधित विधायक, प्रभारी मंत्री व जिला पंचायत सदस्य शामिल होते हैं और पीडीएस की बेहतर आपूर्ति के लिए समय-समय पर सुझाव देते हैं।

VI. पोर्टेबिलिटी, डिजिटल भुगतान और नकद हस्तांतरण: पोर्टेबिलिटी की स्थापना और उपयोग, डिजिटल भुगतान व्यवस्था उचित मूल्य की दुकानों पर शायद ही कभी मिलती है। हालांकि यह सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण लोग पोर्टेबिलिटी सुविधा के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि, शहरी लोग पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं (बेंगलूरू शहर में 1.50 लाख से अधिक लाभार्थी पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं)। कुछ लाभार्थियों के साथ-साथ एफपीएस डीलर ने कहा कि वे सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सेवाओं का लाभ उठाने/प्रदर्शन करने में रुचि रखते हैं। कोई भी परिवार खाद्यान्न के बजाय नकद हस्तांतरण को प्राथमिकता नहीं देता है।

VII. सिफारिशें/ सुझाव:

- प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए अधिक आय उत्पन्न करनी होगी: एनएफएसए खाद्यान्नों के बाद से राज्य पर रु. 300 प्रति क्विंटल का भार पड रहा है और लाभार्थियों को मुफ्त (कार्डधारक के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो यूनिट के रूप में) में उपलब्ध कराया जाता है। इनके अलावा, राज्य ने कार्डधारक के प्रत्येक सदस्य के लिए और 2 किग्रा मुफ्त में जोड़ा है। इसके लिए राज्य को ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओएमएसएस) से रु.2,695 प्रति क्विंटल खरीदनी पड रही है। कार्डधारक के प्रत्येक सदस्य को कुल 7 किग्रा उपलब्ध कराया जाता है। जिले को प्रशासन व्यय को पूरा करने के लिए मार्जिन के रूप में रु. 35 प्रति क्विंटल मिलते हे जो बहुत कम राशि है और प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्षेत्र अनुभव के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि यदि राज्य सरकार नि:शुल्क के बदले लाभार्थियों से रू. 2 प्रति किलो (लाभार्थी रू. 2 प्रति किलो का भुगतान करने को तैयार हैं), लेता है तो ये राशि प्रशासनिक लागतों को पूरा करने में मदद कर सकती है ताकि जिला प्रशासन द्वारा ऋण पर निर्भर होने से बचा जा सके।

- तौल मशीन को ऑनलाइन (ई-पीओएस) प्रणाली से जोड़ना: राज्य सरकार द्वारा पीडीएस स्तर पर ई-पीओएस प्रणाली को प्रभावी ढंग से शुरू किया गया है। तौल मशीन को ऑनलाइन ई-पॉस सिस्टम से जोड़ा जाए।

- अन्य वस्तुओं की मांग: चावल के अलावा, गेहूं, ज्वार, रागी, चीनी, तेल आदि जैसी अन्य वस्तुओं को भी लाभार्थियों द्वारा व्यापक रूप से मांग के अनुसार पेश किया जाना चाहिए।

- एफपीएस स्तर पर सीएससी सुविधाओं की शुरूआत: कई लाभार्थियों ने अपने समय और धन की बचत करने के लिए अपने दरवाजे पर सीएससी सुविधाओं तक पहुंच की मांग की।

- एफपीएस स्तर पर सतर्कता समितियों का पुनरीक्षण और मजबूत करने की आवश्यकता: सतर्कता समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों पर जागरूकता और प्रदर्शन मंच, राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, नए राशन कार्ड का आवेदन, पीडीएस वस्तुओं का अधिकार, मूल्य, स्वैच्छिकता आदि से ग्रामीणों को परिचित कराने की आवश्यकता है।

- यह भी सिफारिश की जाती है कि जिला और उचित दर दुकान स्तरों पर डीजीआरओ और सतर्कता समितियों की नियमित निगरानी, आवधिक बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डॉ. यू. हेमंत कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर, सीडब्ल्यूई एवं एल
डॉ. जी.वी.के. लोहिदास,
सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्यूई एवं एल

आजादी का अमृत महोत्सव: आरटीपी, सीआईएटी एवं एसजे द्वारा दो ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, कौशल और कार्य हेतु नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में दो ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे करने के लिए सरकार की पहल है। 'ग्रामीण परिवर्तन में नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप की भूमिका - ग्रामीण नवोन्मेषकों के पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत और ग्रामीण परिवर्तन में स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव (आरआईएससी)' पर कार्यशाला का आयोजन 26 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम के भाग के रूप में, 13 आरआईएससी पुरस्कार विजेताओं और आरटीपी, सीआईएटी एवं एसजे, एनआईआरडीपीआर के एक इनक्यूबेटी को उनके नवाचारों/स्टार्ट-अप गतिविधियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पुरस्कार विजेताओं के अलावा, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 95 व्यक्ति/संस्थायें कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें डॉ. एस. सेंथिल विनायगम, प्रधान वैज्ञानिक, एनएएआरएम, हैदराबाद डॉ. मधु बाला, निदेशक, डिबर-डीआरडीओ, हल्द्वानी, डॉ. ए के चक्रवर्ती, पूर्व निदेशक, डीआरडीओ, हैदराबाद, श्री ब्रिगेडियर पी गणेशम, पल्ले सृजना - हनी बी नेटवर्क, डॉ केतकी बापट, वैज्ञानिक 'एफ', भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास ट्रस्ट, अनंतपुरम, आरयूटीएजी, आईआईटी चेन्नई और उपयुक्त ग्रामीण तकनॉलोजी संस्थान (एआरटीआई), फलटन, महाराष्ट्र उपस्थित हुए।

श्री एम डी खान, वरिष्ठ सलाहकार, सीआईएटी एवं एसजे ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। डॉ. रमेश शक्तिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआईएटी एवं एसजे ने दोनों कार्यक्रम और आरआईएससी कार्यक्रम के महत्व को समझाया, जो ग्रामीण नवप्रवर्तनकर्ताओं और स्टार्ट-अप के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, प्रतिभागियों को अपनी प्रौद्योगिकियों/ गतिविधियाँ को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार का लाभ उठाने को कहा।

डॉ. एस. सेंथिल विनायगम, प्रधान वैज्ञानिक, नार्म, जो कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने इस विषय पर एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने के साथ-साथ ग्रामीण परिवर्तन के लिए नवप्रवर्तकों द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर अपने विचार साझा किए।

उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की खूब सराहना की और प्रस्तुतकर्ताओं ने अपनी प्रौद्योगिकियों और गतिविधियों को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए अपनी अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान, आरटीपी द्वारा प्रशिक्षण के लिए

निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों/ गतिविधियों की पहचान की गई:

- एक्वापोनिक्स के माध्यम से सतत आजीविका (श्री विजय कुमार, नारायण)
- केले से मूल्यवर्धित उत्पाद (श्री शिव कुमार)
- पर्यावरण अनुकूल हर्बल सैनिटरी नैपकिन (श्रीमती रमा देवी बी.)

यूबीए के तहत प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन पर ऑनलाइन कार्यशाला

आरटीपी, सीआईएटी एवं एसजे ने 16 अप्रैल, 2021 को उन्नत भारत अभियान के तहत प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 124 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, सीआईएटी एवं एसजे ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया।

डॉ. रमेश शक्तिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआईएटी एवं एसजे, आरटीपी ने प्रतिभागियों को कार्यक्रम और इसके अपेक्षित परिणामों के बारे में जानकारी दी।

प्रोफेसर वीरेंद्र कु. विजय, राष्ट्रीय संयोजक, यूबीए और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि ने अपने मुख्य भाषण में उन्नत भारत अभियान के उद्देश्यों का विवरण दिया। कार्यक्रम की सफलता की कहानियों पर एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने के अलावा, उन्होंने ग्रामीण परिवर्तन की दिशा में भाग लेने वाले संस्थाओं पर प्रभाव पैदा करने के लिए क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उन्नत भारत अभियान और एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित समन्वित गतिविधियों की व्याख्या की। मुख्य भाषण के बाद, प्रतिभागियों ने प्रोफेसर वीरेंद्र कु. विजय के साथ बातचीत की।

इसके अलावा, डॉ. रमेश शक्तिवेल ने आरटीपी, सीआईएटी एवं एसजे की गतिविधियों और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन के क्षेत्र में उपलब्धियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति प्रदान दी। उन्होंने तकनीकी संस्थानों को आरआईएससी कार्यक्रमों, आरटीपी मेला, आदि में शामिल करके गतिविधियों द्वारा बनाए गए प्रभाव की व्याख्या की। उन्होंने यूबीए और उसके भागीदारों के साथ एनआईआरडीपीआर की तलाश में प्रस्तावित सहयोग का भी उल्लेख किया।

डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केन्द्र ने संक्षेप में प्रौद्योगिकी और उद्यमिता की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और सहयोग के दायरे और क्षेत्रों का सुझाव देने के अलावा, ग्रामीण परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को कैसे एकीकृत किया जा सकता है पर प्रकाश डाला।

डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केन्द्र ने क्षमता निर्माण और अब तक किए गए कार्यों पर यूबीए के साथ एनआईआरडीपीआर के वर्तमान सहयोग के बारे में जानकारी दी।

इसके बाद, मंच पर चर्चा हुई और सहयोग के लिए कई विचारोत्तेजक सुझाव दिए गए। कई संस्थानों ने एनआईआरडीपीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की।

बातचीत के दौरान, प्रोफेसर वीरेंद्र कु. विजय, राष्ट्रीय संयोजक, यूबीए ने कहा कि तकनॉलोजी की पहचान और प्रौद्योगिकियों की स्थापना आदि के लिए छात्रों को गांवों में ले जाने हेतु यूबीए से उपलब्ध धनराशि का पता लगा सकते है।

आगे, यूबीए के तहत भाग लेनी वाले संस्थाओं (पीआई) को बेरोजगार युवाओं, एसएचजी आदि के लिए आरटीपी, एनआईआरडीपीआर से उपलब्ध सहायता के बारे में बताया गया, जिन्हें प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का लाभ उठाने के लिए पीआई द्वारा गोद लिए गए गांवों से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा, तकनीकी संस्थाओं को सितंबर, 2021 के महीने में एनआईआरडीपीआर के आरटीपी द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित आरआईएससी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा गया।

आरटीपी, सीआईएटी एवं एसजे ने यूबीए के राष्ट्रीय समन्वयक से कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में आरटीपी, एनआईआरडीपीआर द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए अन्य समान ग्रामीण विकास संस्थानों के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के विवरण को साझा करने का अनुरोध किया।

कार्यशाला का समापन डॉ. रमेश शक्तिवेल के समापन भाषण के साथ हुआ।

श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, जिन्होंने कार्यवाही का संयोजन और संचालन किया, ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यशाला के परिणामों में शामिल हैं:

कार्यशाला के निष्कर्ष इस प्रकार है :

- यूबीए के साथ कार्यक्रमों को विधिवत रूप से तैयार करके आरटीपी, एनआईआरडीपीआर से भाग लेने वाली संस्थाओं के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, नवाचारों और उद्यमिता पर ऑनलाइन क्लासरूम कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव करना ।
- आरटीपी, एनआईआरडीपीआर की तर्ज पर अपने संस्थानों में तकनॉलोजी प्रदर्शन/इकाइयों को स्थापित करने के इच्छुक संस्थानों को संपूर्ण समर्थन देना।
- यूबीए सहभागी संस्थाओं द्वारा अभिग्रहित गांवों के ग्रामीण समुदाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विचार करना ।
- भाग लेने वाली संस्थाओं द्वारा शिनाख्त किए गए प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना
- भाग लेने वाली संस्थाओं द्वारा उनके द्वारा अभिग्रहित गांवों के लिए विधिवत पहचान की गई तकनॉलोजी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना
- रूरल इनोवेटर्स स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव (आरआईएससी) के लिए छात्रों और प्रतिभागी संस्थानों के नामांकन पर विचार करना
- ग्राम विकास और ग्रामीण परिवर्तन के संबंध में यूबीए सहभागी संस्थानों के संकाय के लिए कार्यशाला
- एनआईआरडीपीआर के अन्य केंद्रों के सहयोग से गर्मी की छुट्टी के दौरान आरटीपी, एनआईआरडीपीआर में छात्रों को इंटर्नशिप (गैर-निधि आधारित) और परियोजना कार्य आदि पर विचार करना
- सहयोगात्मक तरीके से की जा सकने वाली गतिविधियों के संबंध में विचार-मंथन के लिए यूबीए के क्षेत्रीय समन्वयकों के लिए कार्यशाला।

वेबिनार का संयोजन डॉ. एस.रमेश शक्तिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआईएटी एवं एसजे और श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, सीआईएटी एवं एसजे द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर ने डॉ. बी.आर.अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनायी

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते अम्बेडकर जयंती समारोह में उपस्थित हुए डॉ. जी.नरेन्द्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, गणमान्य व्यक्ति एनआईआरडीपीआर

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने 15 अप्रैल 2021 को भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर.अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह का आयोजन किया।

श्री ई.रमेश, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने कैम्पस के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ब्लॉक में आयोजित समारोह में अतिथियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया।

डॉ. जी.नरेन्द्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके बाद श्री शशि भूषण, निदेशक (वित्तीय प्रबंधक) एवं वित्तीय सलाहकार, लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशा.), श्री मनोज कुमार, सहायक रजिस्ट्रार (ई), संकाय सदस्य डॉ. मुरूगेषन, प्रोफेसर रवीन्द्र गवली, डॉ. एम.वी. रविबाबु और डॉ. आकांक्षा शुक्ला एवं अन्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात डॉ. जी.नरेन्द्र कुमार ने श्री पी.सुधाकर, श्रीमती के.राधामाधवी एवं डॉ. आकांक्षा शुक्ला, अध्यक्ष (प्रभारी), विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र द्वारा संकलित 'डॉ. बी.आर.अम्बेडकर पर चयनित लेखों के एक संग्रह' को लोकार्पित किया।

महानिदेशक ने पुस्तकालय भवन के भीतर डॉ. बी.आर.अम्बेडकर के चित्रपट पर भी माल्यार्पण किया।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री शशि भूषण, निदेशक (वित्तीय प्रबंधक) एवं वित्तीय सलाहकार, लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशा.), और श्री मनोज कुमार, सहायक रजिस्ट्रार (ई)

डॉ. बी.आर.अम्बेडकर पर चयनित लेखों के एक संग्रह' का विमोचन करते हुए डॉ. जी.नरेन्द्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक। उनके साथ उपस्थित है डॉ. आकांक्षा शुक्ला, अध्यक्ष (प्रभारी), (बाएं से तीसरे) श्रीमती के.राधामाधवी, सहायक पुस्तकाध्यक्ष (बाएं से चौथे), श्री शशि भूषण, निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) एवं वित्तीय सलाहकार, (बाएं से 6ठें) प्रोफेसर मुरूगेषन, निदेशक (प्रभारी), एनईआरसी, एनआईआरडीपीआर (बाएं से 7वें) और श्री पी.सुधाकर, सहायक पुस्तकाध्यक्ष (बाएं से 8वें)

लोकतंत्र: अब और क्या?

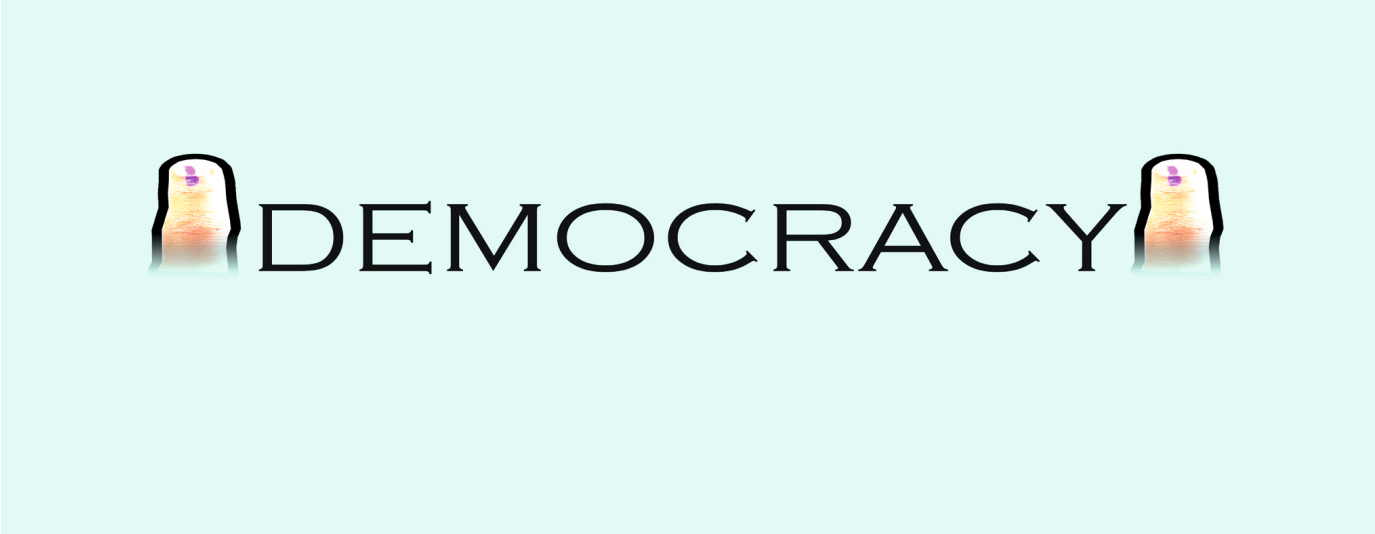

चित्र: श्री वी.जी. भट्ट

चुनाव प्रचार के दौरान हर बार जन-बुद्धिजीवियों को लिखने के लिए एक विषय मिलता है। वे चुनाव अभियान की रणनीतियों को नकली बताते हुए; कुटिलता से वोट प्रचार; और चुनाव घोषणापत्र को भ्रामक और इसी तरह से अखबारों में लेखों की एक श्रृंखला लिखते हैं। उनका मुद्दा होता है: 'लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना'। एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक घाटा/लोकतांत्रिक कमजोरी दिखाई देती है। लेखकों का एक और कुलीन वर्ग है, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग जैसी रिपोर्टों से अतिरिक्त पुष्टि प्राप्त करके समान विचार लिखता हैं। 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान से घटकर 53वें स्थान पर आ गया है।

यद्यपि एक विचार के रूप में शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप 508 - 507 ईसा पूर्व में विकसित हुआ, लोकतंत्र का आधुनिक रूप जिसमें लिखित संविधान, आवधिक चुनाव जैसी विशेषताएं थीं, जहां सभी जातियों के लोगों - पुरुषों और महिलाओं दोनों को वोट देने की शक्ति मिली,जिसने केवल 19वीं और 20वीं सदी में आकार लिया । अन्यथा, यह राजाओं, तानाशाहों, सम्राटों और पवित्र पुस्तकों का शासन था। मुद्दा यह है कि दुनिया के अधिकांश लोगों को शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को समझने, उसकी सराहना करने और उसके अनुकूल होने में कई सदियां लग गई। इस प्रकार, व्यवहार के दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक शासन का आधुनिक रूप बहुत पुराना नहीं है। फिर भी, यह बहुत कम समय में अधिकांश देशों में फैल गया है।
सभी ने कहा और किया, लोकतंत्र शासन के कई अन्य कच्चे रूपों से विकसित हुआ है, जैसे मनुष्य वानर, बोनोबोस और चिंपैंजी से विकसित हुए। दूसरे शब्दों में, जैसे आधुनिक मनुष्य होमो इरेक्टस से निएंडरथल से लेकर होमो सेपियन्स तक विकसित हुए, उसी तरह शासन प्रणाली भी विकसित हुई - राजाओं से तानाशाहों से लेकर सम्राटों तक और इसी तरह। मानव इतिहास में पहली बार, शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप ने नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि हम कहें कि लोकतंत्र मनुष्य के महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है।

इतनी जल्दी हम 'लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने' के बारे में बात करने लगे हैं, इसका अर्थ है कि विकासवादी सिद्धांत सत्य और क्रियाशील है। विकासवादी सिद्धांत केवल जीवित प्राणियों या केवल मनुष्यों के विकास के बारे में नहीं है। यह अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति और शासन विचार के विकास के बारे में भी है। इसलिए, 'लोकतांत्रिक घाटे' के बारे में हमारे जन बुद्धिजीवियों की चिंता अवारंटीकृत या अवांछनीय है। इसका सीधा मतलब है कि बच्चा कमीज से आगे निकल गया है, जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं: शर्ट पहनने के लिए बहुत छोटी हो गई है। समाज (मतदाता और राजनेता) व्यवस्था से लंबा हो गया है, जिससे लोकतंत्र की प्रभावकारिता अपर्याप्त हो गई है। संकेत यह है कि अब समय आ गया है कि हम शासन प्रणाली को बढावा दें। इसे विकसित करना और आगे बढ़ना होगा।

जब हम मानव इतिहास के लगभग 12,000 वर्ष पीछे मुड़कर देखते हैं - जब मनुष्य ने कृषि कार्य, स्थायी बस्तियां और पशुओं का पालन शुरू किया था - पिछले 100 वर्षों में मनुष्यों ने जो प्रगति की है वह अभूतपूर्व है। आज, जिस तरह से हम काम करते हैं और जीते हैं; जिस तरह से हम अपने व्यापार लेनदेन करते हैं; जिस तरह से बैंकिंग और निधि हस्तांतरण होते हैं; और जिस तरह से शासन संचालित किया जाता है, वह चमत्कारिक रूप से तकनॉलोजी द्वारा और विशेष रूप से हाई-स्पीड इंटरनेट द्वारा बदल दिया गया है। हम जो देखते हैं वह तब होता है जब तकनीक और एल्गोरिदम भाग-दौड़ में होते हैं। अभी उड़ान भरनी है। हम अगले कुछ वर्षों के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, बिग डेटा एनालिटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि के उपयोग के साथ मानव प्रगति में उड़ान और छलांग देखेंगे। यह विकसित हो रहा है और काम के हर क्षेत्र और मानव गतिविधि में अपना स्थान पाने के लिए आ रहा है।

हमारे परदादाओं की अपनी मानसिक क्षमताओं, कौशल, अवसरों और चुनौतियों की तुलना में सुपर-इंसान बनने के लिए मानव विकसित हो रहे हैं। आज के समय में, जब हम अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, तो अंतर-पीढ़ी ज्ञान के अंतराल और मानसिक क्षमताओं में विभाजन भी आंख को चुबने वाला होता है। रूपांतरकारी बदलाव हो रहे हैं। परिवर्तन की गति हैरान करने वाली है, जबकि कुछ हमारी समझ में हैं, अन्य विचित्र/अजीब हैं।

मानव जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की गति को देखते हुए, यह काफी तार्किक है यदि मैं पूछता हूं: क्या हमें शासन के एक विकसित रूप की आवश्यकता नहीं है यदि शासन का लोकतांत्रिक रूप जिसे हमने एक या दो सदी पहले आविष्कार किया था, आज त्रुटिपूर्ण पाया जाता है या हम पाते हैं इसमें कई खामियां हैं जिन्हें मानव मन आसानी से इंगित कर सकता है? शायद, इसे संबोधित करने का एक तरीका है, खामियों की पहचान करना और खामियों को दूर करना ताकि दोषपूर्ण लोकतंत्र को व्यवहार या संचालन में लोकतंत्र के सिद्धांतों को पूरा किया जा सके। इसके विपरीत यदि यह गिरावट पर पाया जाता है और जो लोग इसे ऊपर खींचने के लिए उधार देने का वादा करते हैं, वे राजनीतिक और दिखावा करते हैं, तो बेहतर होगा कि हम छोड़ दें।

जितनी बार हम तय करते हैं, हमारे संविधान में संशोधन किया जा रहा है। आख़िरकार, लोकतंत्र एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में संविधान में बाते कही जाती है। संकेत हैं कि लोकतंत्र अदृश्यता की ओर बढ़ रहा है, और इसके अर्थ को खाली किया जा रहा है। एक आशावादी के लिए, इसका मतलब केवल यह है कि हम मानव विकास में अगली सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं। संभव है कि ऐसी विकसित शासन व्यवस्था समाज को आसानी से समझ सके और सेवा कर सके और नागरिक के साथ सम्मान से पेश आए।

अत:, शासन का भविष्य क्या होने की संभावना है? संपूर्ण शासन प्रणाली पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी और बिग डेटा-आधारित हो सकती है। निर्णय बड़े डेटा-सेट द्वारा संचालित साक्ष्य आधारित होंगे। नई विकसित शासन प्रणाली में, शायद, चुनाव और चुनाव अभियान समाप्त हो जाएंगे। जब कोई चुनावी निवेश नहीं होता है, तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की उच्च संभावनाएं होती हैं। डेटा सेट द्वारा सुझाए अनुसार नीतियां तैयार की जाती हैं। लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने या पुन:सशक्त करने की आवश्यकता के बारे में हमारे लोक बुद्धिजीवियों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लोकतंत्र को निवृत्ति लेना है तो इसे मंजूर करें, जैसे हमने राजाओं और तानाशाहों को निवृत्ति दिया था।

मनुष्य विकास करता है। क्या शासन प्रणाली का भी विकास नहीं होना है? यही तो प्रगति है। अन्यथा, एक प्रजाति के रूप में हम स्थिर हो जाते हैं, जो विकासवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण से असत्य है। लोकतंत्र की रक्षा क्यों करें, अगर हमें परिवर्तन की दर के साथ तालमेल बिठाना अपर्याप्त लगता है जिसे एक प्रौद्योगिकी-संचालित दुनिया मांगती है। ऐसा लगता है कि इसे ठीक किया जा रहा है और जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि विकासवाद के सिद्धांत को अस्वीकार्य माना जा रहा है, जो अब तक 160 से अधिक वर्षों की कसौटी पर खरा उतरा है।

निष्कर्ष: इस पेपर का उद्देश्य एनआईआरडीपीआर के पीजी छात्रों में बहस और हटकर सोचने की क्षमता को उत्तेजित करना है। यह शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप की सर्वोच्चता को कम करने का इरादा नहीं रखता है।

डॉ. आर. रमेश
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई,
एनआईआरडीपीआर

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी